म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित,मुख्यालय भोपाल

मुख्यालय : जहांगीराबाद, भोपाल पिन–कोड नं. 462008

क्रमांक/लेखा/सामान्य/ 9808 /2017 भोपाल, दिनांक 22-3-17

प्रति,

(1) जिला विपणन अधिकारी (समस्त)
(2) पशु आहार संयंत्र भोपाल
(3) मुख्य अभियन्ता,यॉत्रिकी/सिविल, मुख्यालय भोपाल

विषयः–वर्ष 2016–17 के मुख्यालय ऋण खाते का अंतिम रूप से मिलान एवं अंतिम वित्तीय पत्रक प्रस्तुत करने के संबंध में।

विपणन संघ का लेखा वर्ष 2016–17 (01–4–2016 से 31–03–17 तक) दिनांक 31–3–17 को समाप्त होने वाला है। अतः वित्तीय वर्ष 2016–17 की समाप्ति पर मुख्यालय ऋण खाते का मिलान किया जाकर वित्तीय पत्रक तैयार किये जाना है। मुख्यालय द्वारा लेखा मिलान का निर्धारित तारीख वार कार्यक्रम तैयार कर संलग्न है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियत तिथि पर आपके कार्यालय के

(4) भौतिक सत्यापन, लेखा मिलान एवं अंतिम वित्तीय पत्रक निर्धारित तिथियों तक पूर्ण कराने की जिम्मेदारी जिला विपणन अधिकारी एवं मंडल प्रबंधक की होगी। इसके अतिरिक्त इकाई प्रमुख अपने जिले के समस्त व्यवसायिक कक्षों एवं लेखा कक्ष का मिलान तत्काल पूर्ण कराना एवं अंतिम वित्तीय पत्रक प्रस्तुत कराने में वांछित सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

(5) समस्त जिलों के लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी लेखा मिलान में उपस्थित होने से पूर्व ही मुख्यालय द्वारा मेल किये गये जिले के ऋण खाते की कापी से मिलान कर दिनांक 31–3–17 पर मुख्यालय के खातों में दर्शित जिले का "शेष" एवं जिले के खातों में मुख्यालय ऋण खाता का "शेष" बराबर होना सुनिश्चित करें। यदि कोई एडवाईस मुख्यालय से प्राप्त नहीं हुई है अथवा जिले द्वारा भेजी गई एडवाईस मुख्यालय द्वारा लेखाबद्ध होने से रह गई है, तो संबंधित शाखा के शाखा प्रमुख से तत्काल सम्पर्क कर मुख्यालय से एडवाईस प्राप्त करें/जिले की एडवाईस भेजें एवं ऋण खातों का शेष बराबर होना सुनिश्चित करें।

(6) समस्त जिलों के लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके जिले के बड़े लेनदार (डेब्टर्स) यथा खाद से संबंधित जिला सहकारी बैंक, सिविल सप्लाईज कारपोरेशन, भारतीय खाद्य निगम, डी0डी0ए0 एवं अन्य का दिनांक 31–03–2017 की स्थिति पर शेष रिकन्साइल होना चाहिए। अर्थात संघ की लेखा पुस्तकों में दर्शित उक्त लेनदार खाते का डेबिट शेष एवं संबंधित पार्टी की लेखा पुस्तकों में संघ के लेजर खाते में दर्शित क्रेडिट शेष बराबर होना चाहिए।

अंतिम वित्तीय पत्रक प्रस्तुत करने के पूर्व उक्त बैलेन्स कर्न्फमेशन सर्टिफिकेट संबंधित पार्टी के लेखा पुस्तकों अनुसार विपणन संघ की लेजर कापी के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(7) जिले के मिलान हेतु मुख्यालय में उपस्थित हुए लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी को वरिष्ठ लेखाधिकारी (सा0) के कक्ष में प्रतिदिन प्रातः 10:30 बजे उपस्थिति एवं उस दिन की कार्य योजना की जानकारी रजिस्टर में दर्ज करना होगा एवं सांय को कार्य प्रगति से अवगत कराना आवश्यक होगा।

(8) मुख्यालय द्वारा 31–03–17 पर शेष व्यापारिक स्कंध एवं अन्य परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन कराने के लिए आवश्यक निर्देश क्र./लेखा/सा/9515/2017 दिनांक 08–03–17 से जारी किये गये हैं। अतः इन निर्देशों के अनुसार भौतिक सत्यापन कराकर प्रतिवेदन नवीन प्रपत्रों में (हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी) दिनांक 16–04–17 तक भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(9) लेखा शाखा सामान्य को प्रस्तुत किये जाने वाले सभी पत्रकों का सेट संलग्न अनुक्रमणिका अनुसार तैयार किये जाये। वर्ष 2016–17 के दौरान ब्याज प्राप्ति/ब्याज भुगतान संलग्न प्रारूप परिशिष्ठ–1 में तथा पूर्व वर्षो से संबंधित आय/पूर्व वर्षो से संबंधित व्यय आदि मदों में लेखाकन का विवरण संलग्न प्रारूप परिशिष्ठ–2 में वित्तीय पत्रकों के साथ ही प्रस्तुत करना है। उक्त जानकारी आयकर विवरणी हेतु अनिवार्य है।

समस्त जिलों के लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी लेखा मिलान में उपस्थित होने से पूर्व ही उपरोक्त अवक्षयण गणना पत्रक परिशिष्ठ क्रमांक–4 के अनुसार तैयार कर लावेंगे एवं उपस्थिति के प्रथम दिवस को लेखा शाखा सामान्य में जॉच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगें।

(11) पूर्व वर्ष के अनुसार अंतिम वित्तीय पत्रकों और जानकारियों के अतिरिक्त विभिन्न शाखाओं को उनसे संबंधित व्यवसायों की जानकारी गत वर्षानुसार या वर्ष 2016–17 में उनके द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में तैयार कर प्रस्तुत की जाये।

(12) गत वर्ष अनुसार इस वर्ष के भंडारण लेखों का मिलान करने के लिए लेखाकर्मी के साथ गोदाम अधीक्षक भी आयेंगे। वे अपने साथ मुख्यालय और स्थानीय स्तर से जारी किये गये आरक्षण आदेशों की प्रतियॉ, बिल पंजी भंडारण देयकों की कार्यालयीन प्रतियॉ आदि साथ लायेंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय तथा स्थानीय स्तर से भंडारण शुल्क/किराये के भुगतान में से भुगतानकर्ता से प्राप्त सर्विस टैक्स तथा उसके भुगतान की जानकारी भी साथ में लायें। इसी प्रकार भंडारण व्ययों एवं बकाया राशियों के विवरण भी तैयार करें, जिससे कि मिलान कार्य में लगने वाले अधिक समय को बचाया जा सके।

(13) आपके जिले में वर्ष 2016–17 में भंडारण गोदामों के संचालन में अर्जित शुद्व आय के आंकलन के प्रारूप गत वर्ष अनुसार ही निर्धारित किया गया है। इस प्रकार से लेखा पुस्तकों के आधार पर भंडारण सबंधी आय और व्ययों को दर्शाया जाकर शुद्व आय का आंकलन किया जाना है।

(14) वित्तीय पत्रकों के साथ बैंकों के चालू खाते जिला सहकारी और अपेक्स बैंकों से विभिन्न व्यवसायों से संबंधित खातों का मिलान पत्रक तथा 31–3–17 पर बैंकों से शेष जमा राशि का प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। अतः आप बैंकों से संबंधित खातों का मिलान अनिवार्य रूप से करलें एवं संबंधित बैंकों से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। बैंक खातों में लंबित पूर्व वर्षो की प्रविष्टियों का निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। बैंक खातों में किसी प्रकार का अंतर मान्य नहीं होगा।

समस्त जिलों के लेखाधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी लेखा मिलान में उपस्थित होने से पूर्व ही अपने जिले के समस्त बैंकों के बैंक समाधान पत्रक परिशिष्ठ क्रमांक–3 के अनुसार तैयार करके रखेंगे एवं उपस्थिति के प्रथम दिवसीय समस्त बैंक समाधान पत्रक लेखा सामान्य को जॉच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

(15) लेखाकर्मी अपने साथ स्कंध पत्रक, स्थिति विवरण की सूचियॉ तथा वांछित जानकारियॉ पूर्व से तैयार कर लायेंगे, ताकि अंतिम लेखे तैयार करने में कम से कम समय लगे। मंडल कार्यालय स्तर के व्ययों का टर्न ओवर के आधार पर उनके कार्यक्षेत्र के जिला/इकाईयों में विभाजित करते हुए एडवाइस शीघ्र भेंजे, जिससे उन जिलों का मुख्यालय स्तर पर लेखा मिलान में व्यवधान उत्पन्न न हो। लेखा मिलान कार्य पूर्ण कर अंतिम वित्तीय पत्रक प्रस्तुत करने के उपरान्त ही मुख्यालय छोड़ेंगे।

(16) मुख्यालय में अंतिम वित्तीय पत्रक प्रस्तुत करने की तिथि से 10 दिन में वित्तीय पत्रकों का अंकेक्षण पूर्ण कराया जाकर अंकेक्षित वित्तीय पत्रक प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व कार्यालय प्रमुख का होगा। अतः आप अपने कार्यालय का अंकेक्षण पूर्ण कराने की ओर विशेष ध्यान देंगे। आवश्यक होने पर स्थानीय सहायक/उप पंजीयक से सम्पर्क स्थापित कर अंकेक्षण पूर्ण कराने हेतु अनुरोध करें।

(17) विपणन संघ को नियत तिथि तक आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए संकलित वित्तीय पत्रक तैयार कर उनको वैधानिक एवं टैक्स आडिट करना होता है। नियत तिथि पर आयकर विवरणी प्रस्तुत न करने पर संघ के विरूद्व आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है। जिस कार्यालय की देरी के कारण यदि संघ पर आर्थिक दण्ड अधिरोपित होता है या अन्य कार्यवाही होती है तो उसके लिए संबंधित कार्यालय प्रमुख जबावदार होगा।

(18) दिनांक 31–03–17 पर व्यवसायवार एवं अन्य मदों में बकाया राशियों की वसूली योग्य राशि एवं डूबन्त तथा संदिग्ध राशि का वर्गीकरण संलग्न प्रपत्र के अनुसार किया जाना है। अतः जिला कार्यालय एवं इकाईयॉं लेखा मिलान के समय उक्त प्रपत्र में जानकारी तैयार कर प्रस्तुत करें।

(19) मुख्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों में किन्ही भी परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं किया जायेगा। अतः आप कार्यक्रम के अनुसार उपस्थिति सुनिश्चित करें। निर्धारित समयावधि में लेखा मिलान के लिए उपस्थित नहीं होने पर कार्यालय प्रमुख और लेखा प्रभारी जिम्मेदार होंगे।

(20) पूर्व वर्षो में पत्रकों की जॉच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि व्यवसायिक कक्षों में प्रस्तुत पत्रकों और लेखा सामान्य कक्ष में प्रस्तुत पत्रकों में विशेषतःव्यापार पत्रक में अंतर दर्शित होता है। अतः व्यवसायिक कक्षों द्वारा जिला कार्यालयों के व्यापरिक पत्रक उस जिले के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के मिलान उपरान्त ही स्वीकार करना सुनिश्चित करेंगे। यह स्थिति संकलन के समय संज्ञान में आने पर असुविधाजनक होती है। अतः इसका पूर्ण ध्यान रखा जाये।

(21) मुख्यालय द्वारा परिपत्र क्रमांक/लेखा/कराधान/5929 दिनांक 26–10–09 एवं कराधान शाखा से ई–मेल दिनांक 31–10–15 से वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रभावशील स्त्रोत पर आयकर की कटौती (टी.डी.एस.) के निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त निर्देशों के अंतर्गत जो पार्टियां टी.डी.एस. की कटौती की श्रेणी में आती है,उनसे निर्धारित दर से आपको टी.डी.एस. की कटौती की जाकर निर्धारित समय सीमा में टी.डी.एस. कटौती की राशि बैंक में निर्धारित चालान से जमा करने के निर्देश दिये गये थे। जमा करने की निर्धारित समय सीमा के संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि पार्टी को जिस माह में बिल क्रेडिट किया गया हो अथवा अग्रिम का भुगतान टी.डी.एस की कटौती करके की गई है, तो कटौती की राशि आगामी माह की 7 तारीख तक चालान द्वारा बैंक में जमा की जानी थी। यदि किसी पार्टी को 31–3–17 तक भुगतान नही किया गया है, किन्तु उसे देय राशियां समायोजन द्वारा 31–3–17 पर पार्टी के खाते में जमा की गई है, तो ऐसी देय राशि पर टी.डी.एस. की राशि को जमा करने की तिथि वर्षान्त से 30 दिन अर्थात् दिनांक 30–4–17 तक होगी। यदि उक्त दोनों बिन्दुओं के अनुसार टी.डी.एस. की राशि जमा नहीं हुई है तो इसे विलम्ब के अंतर्गत जमा किया जाना माना जावेगा, जिसके लिए आयकर अधिनियम में दण्ड का प्रावधान है।

अतः वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिन पार्टियों से टी.डी.एस. की कटौती की जाना है किन्तु उनके भुगतान 31–3–17 तक नही किया गया है, तो ऐसी पार्टियों से 31–3–17 तक की अवधि के बिल तुरन्त प्राप्त किये जावें तथा उनको विधिवत सूचित किया जाकर 31–3–17 पर उनको देय राशि उनके खाते में जमा की जावे तथा टी.डी.एस. की राशि टी.डी.एस. देय खाते में जमा की जावे। ऐसे समायोजन किये गये टी.डी.एस. का भुगतान वर्षान्त 31–3–17 से 30 दिन की अवधि दिनांक 30–4–17 तक आवश्यक रूप से चालान द्वारा जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जावे। वित्तीय वर्ष 2016–17 में आपके द्वारा विभिन्न पार्टियों से स्त्रोत पर की गयी आयकर की कटौती की जानकारी निर्धारित प्रारूप में लेखा मिलान के समय कराधान शाखा को प्रस्तुत किया जाना है। जिन पार्टियों का टी.डी.एस. कटौत्रा वित्तीय वर्ष 2016–17 में किया गया है उनसे संबंधित फार्म 16A भी दिनांक 30–5–17 से पूर्व जारी करें। इस संबंध में प्रारूप के नीचे दी गई टीप का भलीभॉंति अवलोकन कर लें एंव तदानुसार प्रारूप में जानकारी देवें।

(22) विपणन संघ को ब्याज, गोदाम किराया, भंडारण शुल्क आदि के भुगतान के समय भुगतानकर्ता द्वारा स्त्रोत पर आयकर की कटौती की गई हो तो ऐसी कटौती के टी.डी.एस. प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में भुगतानकर्ता से प्राप्त किया जाये एवं ऐसे प्रमाण पत्रों की मूल प्रति लेखा मिलान के समय कराधान शाखा को मूलतः उपलब्ध कराई जावे। भुगतानकर्ता से टी.डी.एस. प्रमाण पत्र लेते समय उनकी जॉच करें कि उसके सभी कालम भरे हुए हैं तथा जारीकर्ता पार्टी के सील सहित मूल हस्ताक्षर अंकित हों। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण टी.डी.एस. प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे एवं ऐसे प्रमाण पत्र सही कराकर प्रस्तुत करने की जवाबदारी कार्यालय प्रमुख की होगी। अतः अपने सहायक लेखाधिकारी को लेखा मिलान हेतु मुख्यालय भेजने के पूर्व उक्त कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(23) गत वर्ष की भँति वर्ष 2016–17 में भी रासायनिक उर्वरक, पौध संरक्षण, कृषि यंत्र एवं अन्य मदों के सबंध में देयकवार विवरण निर्धारित नवीन संशोधित प्रारूप परिशिष्ठ क्रमांक–5 मे (प्रारुप 1 से 4 तक) अंतिम वित्तीय पत्रकों के प्रस्तुतीकरण के समय ही किया जाना है। उक्त जानकारी पूर्व में वेट एवं प्रवेश कर निर्धारण के समय प्रस्तुत की जाती रही है। अतः उक्तानुसार समस्त मदों के संबंध में देयकवार विवरण (बिल वाईस डिटेल) अनिवार्य रूप से कराधान शाखा को प्रस्तुत करें।

(24) वित्तीय वर्ष 2014–15 के टैक्स आडिट हेतु पत्र क्रमाक/लेखा/कराधान/4689 दिनांक 03–9–2015 से से मांगी गयी जानकारी वित्तीय वर्ष 2016–17 के टैक्स आडिट हेतु भी प्रस्तुत की जानी है। अतः परिशिष्ठ क्रमांक–6 (प्रारूप 1 से 3) अनुसार जानकारी निर्धारित प्रारूप में लेखा मिलान के समय प्रस्तुत करें।

(25) वर्ष 2016–17 में दिनांक 31–03–2017 को लेखा पुस्तकों में दर्शित लेनदारी/देनदारी की आयुवार, मदवार एवं पार्टीवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट कमांक–7(1)एवं 7(2) में तथा 31–3–17 पर 5 वर्ष व उससे अधिक एवं 5 वर्ष से कम मदवार वसूली की जानकारी संलग्न प्रारूप परिशिष्ठ कमांक–8 में ऑतरिक अंकेक्षण शाखा मुख्यालय को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित समय सीमा तथा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लेखा मिलान कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराये, जिससे कि वैधानिक दायित्वों की पूर्ति समय सीमा में हो सके।

नोटः– लेखा मिलान के दौरान समस्त जिला कार्यालयों के लेखाधिकारी/सहा. लेखाधिकारी अपने साथ भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन की कार्यालयीन हस्ताक्षरयुक्त प्रति लेखा मिलान हेतु अपने साथ आवश्यक रुप से लेकर आवे।

संलग्न–यथोक्त।

(मनीष कुमार जोशी)
मुख्यलेखाधिकारी सह वित्तीय नियंत्रक

पृ. क्रमांक/लेखा/सामान्य/ 9808 /2017 भोपाल, दिनांक 22.3.17

प्रतिलिपि :–

(1) प्रबंध संचालक के निज सहायक को प्रबंध संचालक महोदय के सूचनार्थ।
(2) सचिव के निज सहायक को सचिव महोदय के सूचनार्थ।
(3) महाप्रबंधक (उपार्जन एवं मिलिंग शाखा) मुख्यालय भोपाल। कृपया अपने कक्ष से संबंधित जानकारी के प्रारूप निर्धारित कर जिला कार्यालय/इकाईयों को अविलम्ब अवगत करायें।
(4) महाप्रबंधक (विपणन/भंडारण/परिवहन), मुख्यालय भोपाल। कृपया अपने कक्ष से संबंधित जानकारी के प्रारूप निर्धारित कर जिला कार्यालय/इकाईयों को अविलम्ब अवगत करायें।
(5) प्रभारी महाप्रबंधक (स्थापना) मुख्यालय भोपाल। कृपया अपने कक्ष से संबंधित जानकारी के प्रारूप निर्धारित कर जिला कार्यालय/इकाईयों को अविलम्ब अवगत करायें।
(6) प्रबंधक (कृषि साधन) मुख्यालय भोपाल को सूचनार्थ।
(7) उप मुख्यलेखाधिकारी (कृषि साधन/देयक/कैश) मुख्यालय भोपाल। अपने कक्ष से संबंधित जानकारी के प्रारूप निर्धारित कर जिला कार्यालय/इकाईयों को अविलम्ब अवगत करायें।
(8) मंडल प्रबंधक, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.(समस्त) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
(9) वरिष्ठ सिस्टम एनालिस्ट, मुख्या. भोपाल को सूचनार्थ एवं निर्देश के बिन्दू क्रमांक 2 के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
(10) वरिष्ठ लेखाधिकारी (कराधान) मुख्यालय भोपाल। अपने कक्ष से संबंधित जानकारी के प्रारूप निर्धारित कर जिला कार्यालय/इकाईयों को अविलम्ब अवगत करायें।

मुख्यलेखाधिकारी सह वित्तीय नियंत्रक

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए लेखा मिलान कार्यक्रम

क्र0	जिला कार्यालय का नाम	लेखा मिलान हेतु उपस्थित होने की निर्धारित तिथि
01	पशु आहार भोपाल, जिला कार्यालय रीवा, बैतूल, रायसेन, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, जबलपुर, टीकमगढ़, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, शहडोल, सतना, दतिया।	17.4.17 से 20.4.17 तक
02	जिला कार्यालय राजगढ़, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, मुरैना, उज्जैन, सीहोर, होशंगाबाद, मंडला, कटनी, छिंदवाड़ा, भिण्ड,गुना, शाजापुर।	21.4.17 से 24.4.17 तक
03	जिला कार्यालय दमोह, विदिशा, भोपाल, सागर, इंदौर, झाबुआ, धार, रतलाम, पन्ना, मंदसौर, छतरपुर, देवास, सीधी ।	25.4.17 से 28.4.17 तक

मुख्यलेखाधिकारी सह वित्तीय नियंत्रक

मुख्यालय की लेखा शाखा सामान्य एवं अन्य शाखाओं को प्रस्तुत किये जाने वाले अंतिम वित्तीय पत्रकों की अनुक्रमणिका

अ. लेखा शाखा सामान्यः—

1. तलपट (Trail Balance)।
2. व्यापारिक पत्रक (Trading Account)—संलग्न परिशिष्ठ क्रमांक—9 में।
3. लाभ—हानि पत्रक (Profit & Loss Account)—संलग्न परिशिष्ठ क्रमांक—10 में।
4. स्थिति विवरण (Balance Sheet)—संलग्न परिशिष्ठ क्रमांक—11 में।
5. वस्तुवार स्कंध पत्रक व्यापारिक खाते के क्रमानुसार ।
6. वस्तुवार अंतिम स्कंध मूल्यांकन की सूची व्यापारिक खाते के क्रमानुसार।
7. स्थानान्तरण खरीदी पत्रक।
8. स्थानान्तरण विक्रय पत्रक।
9. देनदारियों की सूची बैलेन्सशीट के क्रमानुसार।
10. लेनदारियों की सूची बैलेन्सशीट के क्रमानुसार।
11. सम्पत्तियों की सूची एवं अवक्षयण पत्रक।
12. ब्याज प्राप्ति खाता/ब्याज भुगतान खाते की जानकारी— संलग्न परिशिष्ठ क्रमांक—1 में।
13. पूर्व वर्षो से संबंधित आय/व्यय से संबंधित जानकारी—संलग्न परिशिष्ठ क्रमांक—2 में।
14. बैंक समाधान पत्रक (बैंक स्टेटमेन्ट/प्रमाण पत्र सहित)—संलग्न परिशिष्ठ क्रमांक—3 में।
15. वारदाना पत्रक।

ब. खाद/कीटनाशक/कृषियंत्र/बीज/पेट्रौल/डीजल/ आयल/अन्य प्रक्रिया से संबंधित लेखा शाखाः—

1. संबंधित व्यवसाय के शाखावार निर्धारित प्रपत्र।

स. उपार्जन एवं मिलिंग लेखा शाखाः—

1. धान/चावल, प्याज एवं गेहूं उपार्जन से संबंधित निर्धारित प्रपत्र।

द. भंडारण शाखाः—

1. भंडारण शाखा के निर्धारित प्रपत्र।

क. कराधान शाखाः—

1. आयकर अधिनियम के अंतर्गत अवक्षयण की गणना हेतु स्थाई एवं अन्य संपत्तियों के क्रय विकय की जानकारी—संलग्न परिशिष्ठ क्रमांक—4 में।
2. वस्तुवार क्रय/विक्रय/वेट/प्रवेश कर आदि के विवरण निर्धारित नवीन संशोधित संलग्न परिशिष्ठ क्रमांक—5 के प्रारूप क्रमांक—1 से 4 तक।
3. वित्तीय वर्ष 2016—17 के टैक्स आडिट सम्बन्धी जानकारी—संलग्न परिशिष्ठ क्रमांक—6(1) से 6(3)तक।

ख. अंकेक्षण शाखाः—

1. लेनदारियों/देनदारियों का पत्रक (बेलेन्स शीट के क्रमानुसार)—संलग्न परिशिष्ठ क्रमांक—7(1) एवं 7(2)में।
2. बकाया राशि की मदवार बसूली की जानकारी का पत्रक— संलग्न परिशिष्ठ क्रमांक—8 में।

—0—

Dwivedi

वरिष्ठ लेखाधिकारी (सामान्य)

परिशिष्ट क्रमांक–1

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जिला कार्यालय ....

(अ) ब्याज प्राप्ति खाता का विवरण वर्ष 2016–17

क्रमांक	व्यवसाय का नाम	राशि कहाँ से प्राप्त हुई	सहकारी क्षेत्र से	गैर सहकारी क्षेत्र से	योग
कुल योग					

(ब) ब्याज भुगतान खाता का विवरण वर्ष 2016–17

क्रमांक	व्यवसाय का नाम	राशि जिसे भुगतान की गई	राशि
कुल योग			

लेखाधिकारी /सहा0लेखाधिकारी

जिला विपणन अधिकारी

................................(म0प्र0)

परिशिष्ठ क्रमांक–2

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जिला कार्यालय ....

(अ) पूर्व वर्षो से संबंधित आय का विवरण वर्ष 2016–17

क्रमांक	व्यवसाय का नाम	राशि कहाँ से प्राप्त हुई	राशि
कुल योग			

(ब) पूर्व वर्षो से संबंधित व्यय का विवरण वर्ष 2016–17

क्रमांक	व्यवसाय का नाम	राशि किसे भुगतान की गई	राशि
कुल योग			

लेखाधिकारी /सहा0लेखाधिकारी

जिला विपणन अधिकारी

..................................(म0प्र0)

परिशिष्ठ क्रमांक–3

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जिला कार्यालय ....

<u>बैंक समाधान पत्रक दिनांक 31.03.2017</u>

बैंक का नाम ....

(राशि रू. में)

विवरण	राशि	राशि
लेखा पुस्तकों के अनुसार 31.03. 2017 पर बैंक शेष		....
जोड़ा – 1– <u>चेक निर्गमित किन्तु भुगतान हेतु बेंक में प्रंस्तुत नहीं किये गये हैं</u> :– दिनांक ...., चेक कमांक .... 2– <u>चेक निर्गमित व प्रस्तुत किये गये किन्तु, बैंक मे क्लीयरिंग में लंबित</u> :– दिनांक ...., चेक कमांक	....	....
घटाया– 1–<u>चेक प्राप्त किन्तु भुगतान हेतु बेंक में प्रंस्तुत नहीं किये गये हैं</u> :– दिनांक ...., चेक कमांक .... 2–<u>चेक प्रस्तुत किये गये, किन्तु बैंक मे क्लीयरिंग में लंबित</u> :– दिनांक ...., चेक कमांक	....	....
बैंक स्टेटमेंट/प्रमाण पत्र के अनुसार 31.03.17 पर बैंक शेष		....

लेखाधिकारी /सहा0लेखाधिकारी

जिला विपणन अधिकारी
..............................(म0प्र)

परिशिष्ठ क्रमांक–4

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जिला कार्यालय ....

आयकर अधिनियम के अंतर्गत अवक्षयण की गणना हेतु स्थाई एवं अन्य संपत्तियों के क्रय विक्रय की जानकारी

सपत्ति का नाम	प्रारंभिक शेष 01.4.16	क्रय		स्थानांतरण क्रय		योग		विक्रय		स्थानांतरण विक्रय		योग		अंतिम शेष 31.03.17	
		01.04.16 से 30.09.16	01.10.16 से 31.03.17	01.04.16 से 30.09.16	01.10.16 से 31.03.17	01.04.16 से 30.09.16	01.10.16 से 31.03.17	01.04.16 से 30.09.16	01.10.16 से 31.03.17	01.04.16 से 30.09.16	01.10.16 से 31.03.17	01.04.16 से 30.09.16	01.10.16 से 31.03.17	01.04.16 से 30.09.16	01.10.16 से 31.03.17

लेखाधिकारी /सहा0लेखाधिकारी

जिला विपणन अधिकारी
..............................(म0प्र0)

परिशिष्ठ क्रमांक–5

प्रारूप क्रमांक–1 (अ)

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जिला कार्यालय ....

वस्तुवार विक्रय की जानकारी वर्ष 2016–17

01.04.2016 से 31.03.2017 तक

(राशि रू. में)

क्र.	करयोग्य विक्रय					अन्य विक्रय		कुल विक्रय		
	वस्तु का नाम	राज्य के अन्दर विक्रय			राज्य के बाहर विक्रय					
		वेट रहित विक्रय की राशि	वेट कर लेजर के अनुसार	वेट सहित कुल विक्रय राशि(3+4)		स्त्रोत पर टी.डी.एस. पर विक्रय	कर मुक्त विक्रय	लेजर अनुसार वेट रहित विक्रय राशि (3+6+7+8)	वेट की राशि (4)	कुल विक्रय (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
योग										

लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी

जिला विपणन अधिकारी

परिशिष्ठ क्रमांक–5

प्रारूप क्रमांक–1 (ब)

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जिला कार्यालय ....

वस्तुवार विक्रय की जानकारी वर्ष 2018–17

धान उपार्जन से संबंधित जिले (मात्र गनी बैग विक्रय का विवरण)

01.04.2016 से 31.03.2017 तक

(राशि रू. में)

क्र.	करयोग्य विक्रय									अन्य विक्रय		कुल विक्रय			
	वस्तु का नाम	राज्य के अन्दर विक्रय				राज्य के बाहर विक्रय									
		वेट रहित विक्रय की राशि	वेट कर लैजर के अनुसार	वेट सहित कुल विक्रय राशि (3+4)	राज्य के अन्दर विक्रय पर प्रवेश कर की राशि	राज्य के बाहर शुद्व विक्रय	केन्द्रीय विक्रय कर	राज्य के बाहर विक्रय पर प्रवेश कर की राशि	कुल विक्रय मूल्य (7+8+9)	स्त्रोत पर टी.डी.एस. पर विक्रय	कर मुक्त विक्रय	लेजर अनुसार कर रहित विक्रय मूल्य (3+7+11+12)	वेट कर/केन्द्रीय विक्रय कर की राशि (4+8)	प्रवेश कर (राज्य के बाहर +राज्य के अंदर) (6+9)	कुल विक्रय (13+14+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	गनी बैग														
योग															

लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी

जिला विपणन अधिकारी

परिशिष्ट क्रमांक-5

प्रारूप क्रमांक–2

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जिला कार्यालय ....

वस्तुवार क्रय की जानकारी वर्ष 2016–17

01.04.2016 से 31.03.2017 तक

(राशि रू. में)

क्र.	वस्तु का नाम	करयोग्य क्रय – राज्य के अन्दर से क्रय: वेट रहित क्रय की राशि	करयोग्य क्रय – राज्य के अन्दर से क्रय: वेट कर लेजर के अनुसार	करयोग्य क्रय – राज्य के अन्दर से क्रय: वेट सहित कुल क्रय राशि (3+4)	करयोग्य क्रय – राज्य के बाहर से क्रय: राज्य के बाहर क्रय	करयोग्य क्रय – राज्य के बाहर से क्रय: प्रवेश कर की राशि	अन्य क्रय: स्त्रोत पर टी.डी.एस. पर क्रय	अन्य क्रय: कर मुक्त क्रय	अन्य क्रय: अपंजीकृत व्यापारी/कृषकों से क्रय	कुल क्रय: लेजर अनुसार शुद्ध क्रय मूल्य (3+6+8+9+10)	कुल क्रय: वेट की राशि (4)	कुल क्रय: कुल क्रय (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	खाद	0	0	0	0	0		0		0	0	0
2	पेस्टीसाइड	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!		#REF!	#REF!	#REF!
3	कृषि यंत्र 5 प्रतिशत	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!						
	कृषि यंत्र 13 प्रतिशत	#REF!	#REF!	#REF!								
	कृषि यंत्र 14 प्रतिशत	#REF!	#REF!	#REF!								
	कृषि यंत्र कर मुक्त							#REF!				
	योग	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!		#REF!	#REF!	#REF!
4	ऑइल	#REF!	#REF!	#REF!						#REF!	#REF!	#REF!
5	डीजल	#REF!	#REF!	#REF!						#REF!	#REF!	#REF!
6	पेट्रोल	#REF!	#REF!	#REF!						#REF!	#REF!	#REF!
7	अन्य 5 प्रतिशत	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!						
	अन्य 13 प्रतिशत	#REF!	#REF!	#REF!								
	अन्य कर मुक्त							#REF!				
	योग	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!		#REF!	#REF!	#REF!
8	गेंहू											
9	धान							0		0	0	0
10	प्याज							0		0	0	0
11	गनी बैगस्									0	0	0
12		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!		#REF!	#REF!	#REF!
	कुल योग									0	0	0

सहायक लेखाधिकारी

जिला विपणन अधिकारी

परिशिष्ठ क्रमांक–5

प्रारूप क्रमांक–2(1)

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जिला कार्यालय ....

01.04.2016 से 31.03.2017 तक राज्य के अंदर वेट कर भुगतान कर खरीदी की सूची

वस्तु का नाम ....

(प्रारूप–2 के कॉलम क्र. 5 का विवरण) (राशि रू. में)

क्रमाक	व्यापारी का नाम	टिन क्रमाक	वेट सहित क्रय की राशि
1	2	3	4
कुल क्रय			

लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी जिला विपणन अधिकारी

परिशिष्ठ क्रमांक–5

प्रारूप क्रमांक–2(2)

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जिला कार्यालय ....

01.04.2016 से 31.03.2017 तक व्यवसायी से खरीदी गई करमुक्त मदों की सूची

वस्तु का नाम ....

(प्रारूप–2 के कॉलम क्र. 9 का विवरण) (राशि रू. में)

क्रमाक	व्यापारी का नाम	टिन क्रमाक	करमुक्त क्रय की राशि
1	2	3	4
कुल क्रय			

लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी जिला विपणन अधिकारी

परिशिष्ठ क्रमांक–5

प्रारूप क्रमांक–2(3)

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जिला कार्यालय ....

प्रान्त के बाहर के व्यवसायी से खरीदी दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक

वस्तु का नाम ....

(प्रारूप–2 के कॉलम क्र. 6 का विवरण) (राशि रू. में)

क्रमाक	व्यापारी का नाम	टिन क्रमाक	क्रय की राशि
1	2	3	4
कुल क्रय			

लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी जिला विपणन अधिकारी

परिशिष्ठ क्रमांक–5

प्रारूप क्रमांक–2(4)

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल शाखा ....

प्रांत के अंदर के व्यवसायी से करयोग्य खरीदी की बिलवार सूची

दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक

वस्तु का नाम.......................................

(प्रारूप–2 के कॉलम क्र. 3,4 व 5 का विवरण) (राशि रू. में)

क्रमांक	वस्तु का नाम	विक्रेता पार्टी का नाम	स्थान	टिन क्रमांक	बिल क्रमांक	दिनांक	वेट रहित क्रय की राशि	वेट की राशि	कुल क्रय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
योग									

लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी

जिला विपणन अधिकारी

परिशिष्ट क्रमांक–5

प्रारूप क्रमांक–2(5)

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जिला कार्यालय ....

प्रान्त के बाहर के व्यवसायी से खरीदी दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक

वस्तु का नाम ....

(प्रारूप–2(3) का विवरण)

(राशि रु. में)

क्रमांक	वस्तु का नाम	विक्रेता पार्टी का नाम	स्थान	टिन क्रमांक	बिल क्रमांक	दिनांक	क्रय मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							

लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी

जिला विपणन अधिकारी

परिशिष्ठ क्रमांक–5

प्रारूप क्रमांक–2(6)

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जिला कार्यालय ....

स्त्रोत पर टी.डी.एस. के विरूद्ध तिलहन की विक्री दर्शाने वाला पत्रक म.प्र.के भीतर

दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक

वस्तु का नाम ....

(प्रारूप–2 के कॉलम क्र. 8 का विवरण) (राशि रु. में)

क्रमांक	वस्तु का नाम	विक्रेता पार्टी का नाम	स्थान	टिन क्रमांक	बिल क्रमांक	दिनांक	बिल अनुसार राशि	स्त्रोत पर टी.डी.एस. की राशि	अंतर की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
योग									

लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी

जिला विपणन अधिकारी

परिशिष्ठ क्रमांक–5

प्रारूप क्रमांक–2(7)

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जिला कार्यालय ....

व्यवसायी से खरीदी गई करमुक्त मदों की सूची

दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2016 तक

वस्तु का नाम....................................

(प्रारूप–2(2) का विवरण)

क्रमांक	वस्तु का नाम	विक्रेता पार्टी का नाम	स्थान	टिन क्रमाक	बिल क्रमांक	दिनांक	क्रय मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल क्रय							

लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी

जिला विपणन अधिकारी

परिशिष्ठ क्रमांक—5

प्रारूप क्रमांक—3

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जिला ....

गेहूँ / धान क्रय पर विभिन्न मदों की सूची दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक

(राशि रू में)

क्र.	वस्तु का विवरण	क्रय मात्रा	न्यूनतम समर्थन मूल्य	क्रय की कुल राशि (3*4)	मंडी एवं निराश्रित टैक्स	मण्डी लेबर व्यय	समिति कमीशन	परिवहन व्यय	भण्डारण व्यय	ब्याज व्यय	क्रय कर	स्टेशनरी / प्रिंटिंग / प्रचार व्यय	रनर ऑपरेटर व्यय	वहन व्यय	अन्य व्यय	व्यापारिक व्यय की कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	गेहूँ															
2	धान															
	योग															

लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी

जिला विपणन अधिकारी

परिशिष्ठ क्रमांक–5

प्रारूप क्रमांक–4

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जिला कार्यालय ....

01.04.2016 से 31.03.2017 तक राज्य के अंदर वेट कर सहित विक्रय की सूची

(राशि रू. में)

क्रमांक	व्यापारी का नाम	टिन क्रमांक	वेट सहित विक्रय की राशि
1	2	3	4
कुल विक्रय			

लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी

जिला विपणन अधिकारी

परिशिष्ठ क्रमांक–6

प्रारूप क्रमांक–1

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जिला कार्यालय ....

वित्तीय वर्ष 2016–17 की टी0डी0एस0 कटौत्रा सम्बन्धी जानकारी

{ए} ऐसे भुगतान जिस पर टी.डी.एस. कटौत्रा नहीं किया गया है :–

क्रमांक	भुगतान तिथि	भुगतान राशि	भुगतान का प्रकार	भुगतान प्राप्त कर्ता का नाम एवं पता
1	2	3	4	5

{बी} ऐसे भुगतान जिस पर टी0डी0एस0कटौत्रा किया गया है परन्तु जिसको उसी वित्तीय वर्ष या अगले वित्तीय वर्ष में जमा नहीं किया गया है :–

क्रमांक	भुगतान तिथि	भुगतान राशि	भुगतान का प्रकार	भुगतानप्राप्त कर्ता का नाम एवं पता	टैक्स कटौत्रा की राशि	टैक्स की राशि {यदि जमा की गई हो}
1	2	3	4	5	6	7

नोट :–

{1} टेबल {ए }में ऐसे भुगतान दर्शाये जाने है जिस पर टी.डी.एस. कटौत्रा का दायित्व था,परन्तु टी.डी.एस.कटौत्रा नहीं किया गया ।

{2} टेबल {बी} में ऐसे भुगतानों का विवरण दर्शाया जाना है,जिन पर टी.डी.एस.कटौत्रा किया गया है,परन्तु जमा नहीं किया गया है अथवा कम जमा किया गया है ।

{3}उक्तानुसार यदि ऐसी कोई राशि नहीं भी है,तब भी उक्त तालिका में जानकारी निरंक भरकर संयुक्त हस्ताक्षर से भेजी जानी है ।

लेखाधिकारी / सहा.लेखाधिकारी

जिला विपणन अधिकारी

परिशिष्ठ क्रमांक–6

प्रारूप क्रमांक–2

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जिला कार्यालय............

वित्तीय वर्ष 2016–17 में टी0डी0एस0 कटौत्रा की राशि का विवरण

क्रमांक	टेन संख्या {TAN NO}	धारा जिसके अन्तर्गत टैक्स कटौत्रा किया गया है	भुगतान का प्रकार	कालम नं.3 के अनुसार भुगतान के प्रकार की कुल राशि	कुल राशि जिस पर टी.डी.एस.कटौत्रा किया जाना चाहिये था	कालम नं.6 कि ऐसी राशि जिस पर निर्धारित दर अनुसार टी.डी.एस.क़टौत्रा किया गया है	टेक्स कटौत्रा की कुल राशि	ऐसी राशि जिस पर निर्धारित दर से कम दर परटी.डी.एस. कटौत्रा किया गया है	कालम क. 8 की राशि पर टैक्स कटौत्रा की राशि	ऐसी राशि जिस पर टैक्स शासन के खाते में जमा नहीं किया गया है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

लेखाधिकारी / सहा.लेखाधिकारी

जिला विपणन अधिकारी

परिशिष्ठ क्रमांक–6

<u>प्रारूप क्रमांक–3</u>

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जिला कार्यालय............

<u>संघ द्वारा रिलेटेड व्यक्ति { अध्यक्ष एवं संचालक } को किये गये भुगतान की जानकारी</u>

क्र0	नाम	पेन संख्या	अध्यक्ष/ संचालक	भुगतान का प्रकार	राशि
1	2	3	4	5	6

नोटः– विभिन्न बैठकों जैसे समन्वय समिति की बैठक या अन्य किसी मद. में संघ के अध्यक्ष एवं संचालकों को कोई भुगतान किया गया है,तो ऐसा भुगतान उक्त तालिका मेंदर्शाया जाना है । पेन संख्या उपलब्ध है तो अनिवार्य रूप से दर्शायी जानी है ।

लेखाधिकारी / सहा.लेखाधिकारी

जिला विपणन अधिकारी

परिशिष्ठ क्रमांक–7

प्रारूप क्रमांक–1

कार्यालय मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल

31 मार्च 2017 को लेखा पुस्तकों में दर्शित लेनदारियों का पत्रक (बेलेन्स शीट के अनुसार)

क.	विवरण	पांच वर्ष से अधिक	तीन वर्ष से अधिक	दो वर्ष से अधिक	दो वर्ष से कम	योग
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
	योग					

टीप :– 31 मार्च 2017 में लेखा पुस्तको में दर्शित लेनदारियों का पार्टीवाईज पत्रक एवं हार्ड कापी (पेन ड्राईव) में भी प्रेषित करना होगा ।

परिशिष्ठ क्रमांक–7

प्रारूप क्रमांक–2

कार्यालय मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल

31 मार्च 2017 को लेखा पुस्तकों में दर्शित देनदारियों का पत्रक (बेलेन्स शीट के अनुसार)

क.	विवरण	पांच वर्ष वां से अधिक	तीन वर्ष से अधिक	दो वर्ष से अधिक	दो वर्ष से कम	योग
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
	योग					

टीप :– 31 मार्च 2016 में लेखा पुस्तको में दर्शित लेनदारियों का पार्टीवाईज पत्रक एवं हार्ड कापी (पेन ड्राईव) में भी प्रेषित करना होगा ।

परिशिष्ट क्रमांक-8

कार्यालय मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल

दिनांक 31.03.2017 पर बकाया राशि की मदवार वसूली की जानकारी का पत्रक

क्र.	संकलित मूल मद का नाम	मूल मद में शामिल पार्टीवार वर्गीकरण	आयुवार वर्गीकरण		दिनांक 31.03.2016 पर कुल बकाया राशि(अ+ ब)	चालू वर्ष 1.4.2016 से 31.3.17 तक	दिनांक 31.03.2017 तक वसूल की गई राशि				दिनांक 31.03.2017 तक बकाया/शेष राशि				लम्बित रहने का कारण	निराकरण हेतु किये गये प्रयास
			5 वर्ष व उससे अधिक (अ)	5 वर्ष से कम (ब)		2016-2017	5 वर्ष व उससे अधिक (अ)	5 वर्ष से कम (ब)	चालू वर्ष 1.4.2016 से 31.3.17 तक	कुल वसूल की गई राशि	5 वर्ष व उससे अधिक (अ)	5 वर्ष से कम (ब)	चालू वर्ष 1.4.2016 से 31.3.17 तक शेष	कुल शेष राशि		
			2011-12 व इससे पूर्व के	2011-12 से 2015-16 तक	4+5=6		विरुद्ध कॉलम नंबर 4	विरुद्ध कॉलम नंबर 5	विरुद्ध कॉलम नंबर 7	8+9+10=11	4-8=12	5-9=13	7-10=14	12+13+14=15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BAD AND DAOUBT DEBTS															
2	BILLS RECEIVABLE AM															
	1- DDA															
	2- CCB															
	3- OTHER															
3	BILLS RECEIVABLE FARTILIZER															
	1- DDA															
	2- CCB															
	3- FCI															
	4- PSU															
	5- OTHER															
4	BILLS RECEIVABLE GENERAL															
5	BILLS RECEIVABLE MARKETING (PADDY)															
	1- FCI															
	2- NAN/FCI															
	3- NAFED															
	4- MPSCS															
	5- OTHER															
6	BILLS RECEIVABLE MARKETING (WHEAT)															
	1- FCI															
	2- NAN/FCI															
	3- NAFED															
	4- MPSCS															
	5- OTHER															
7	BILLS RECEIVABLE PEST/SEED															
	1- DDA															
	2- OTHER															
	3- CCB															
8	BILLS RECEIVABLE PETROL PUMP															
9	BILLS RECEIVABLE STORAGE															
	1- NAN															
	2- NAFED															
	3- OTHER															
10	COOP /CCB															
11	ADVANCE TO DIRECTOR															
12	INDIVIDUAL															
13	MIS APPR RECOVERABLE															
14	SALE PROC SEED/PEST. APEX															
15	SALE PROC FERT- APEX															
16	SALE PROC FERT- CCB															
17	SALE PROC SEED/PEST CCB															
18	SUNDRY DEBTORS															
19	ADVANCE TO STAFF															
20	TRADE ADVANCE															
21	FDR RCIVEBAL															
22	PARTNERSHIP															
23	CHHATNGARH MARFED															
	TOTAL															

परिशिष्ट–9

M.P. STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD - DISTRICT............................

TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2016-17

S. NO	NAME OF COMMONDITY	OPENING BALANCE	PURCHASES	TRANS PURCH.	TRADING EXPENSES	GROSS PROFIT	TOTAL	SALES	TRANS. SALE	TRADING INCOME	CLOSING STOCK	TOTAL
1	FERTILIZERS											
						-	-					-
2	PESTICIDES											
						-	-					-
3	AGRI/MACHINERY											
						-	-					-
4	PADDY /RICE											
						-	-					-
5	WHEAT											
						-	-					-
6	ONION											
						-	-					-
7	GUNNY BAGS											
						-	-					-
8	OTHER											
												-
	GRAND TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AO/AAO

DISTRICT MARKETING OFFICER

AUDITOR

परिशिष्ट–10

M.P. STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD - DISTRICT..............................

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR 2016-17

EXPENDITURE	AMOUNT	TOTAL AMOUNT	INCOME	AMOUNT	TOTAL AMOUNT
ESTABLISHMENT EXPENSES		-	**GROSS PROFIT/LOSS**		-
SALARY & ALLOWANCE			**INCOME**		-
LEAVE SALARY / LEAVE IN CASHMENT			GODOWN RENT & STORAGE INCOME		
BONUS PAID TO STAFF			LEASE RENT INCOME		
ESI CONTRIBUTION			INTEREST FROM CO-OP. SECTOR		
CONVEYANCE EXPENSES			INTEREST FROM NON CO-OP. SECTOR		
KITS & LIVERIES			PRIOR PERIOD INCOME		
ADMINISTRATION EXPENSES		-	PROFIT ON GUNNIES BAGES		
T.A. TO DIRECTORS			COMMISSION EARNED		
T.A. TO STAFF			MISCELLANEOUS INCOME		
CONSULTANCY FEES / PROJECT EXP.			SUPERVISION CHARGES		
OFFICE ELECTRICITY CHARGES			FERTILIZER RETAILER INSANTIVE		
ENTERTAINMENT EXPENSES					
MEETING EXPENSES					
OFFICE CONTINGENCIES EXP.					
POSTAGE & TELEGRAM					
PROPERTY TAX EXP.					
OFFICE RENT / HIRE CHARGES					
REPAIR & MAINT. OF COMPUTER & PRINTERS					
REPAIR & MAINTENANCE OF OFFICE BUILDING					
REPAIR & MAINTENANCE OF OFFICE EQUIPMENT					
STATIONERY & PRINTING EXP.					
TELEPHONE & FAX EXPENSES					
VEHICLE EXPENSES					
TAXI EXPENSES					
WATER CHARGES					
OFFICE OVERHEAD EXPENSES		-			
CLEANING EXPENSES					
COURT & LEGAL EXPENSES					
DEPRECIATION CHARGES					
DUNNAGE SHEET EXP.					
FUMIGATION EXPENSES					
INSURANCE EXPENSES					
LEASE RENT EXPENSES					
LICENCE FEES EXPENSES					
NEWS PAPER / BOOKS & PRIODICALS					
STORAGE EXPENSES					
SALES OVERHEAD EXPENSES		-			
PUBLICITY & ADVERTISEMENT EXP.	-				
EXSIBITION EXPENSES	-				
FINANCIAL OVERHEAD		-			
BANK CHARGES					
INTEREST ON BANK LIMIT					
REMITTANCE CHARGES [FERTILIZER]					
PRIOR PERIOD EXPENSES		-			
LOSS BY NATURAL CALAMITIES / THEFT		-			
TOTAL EXP.		-			
NET PROFIT {+}		-			
GRAND TOTAL		-	GRAND TOTAL		-

AO/AAO DMO AUDITOR

परिशिष्ट–11

M.P. STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD - DISTRICT............................

BALANCE SHEET AS ON 31-03-2017

LIABILITIES	AMOUNT	TOTAL AMOUNT	ASSETS	AMOUNT	TOTAL AMOUNT
FUNDS & RESERVE		-	**FIXED ASSETS**		-
DEPRECIATION FUND ON LAND,BUILDING & GODOWN	-		LAND,BUILDING & GODOWN	-	
DEPRECIATION FUND ON PLANT & MACHINERY	-		PLANT & MACHINERY		
DEPRECIATION FUND ON RICE MILL & FACTORY			RICE MILL & FACTORY		
DEPRECIATION FUND ON COLD STORAGE			COLD STORAGE		
DEPRECIATION FUND ON FURNITURE & FIXTURE			**OTHER ASSETS**		
DEPRECIATION FUND ON TEMPRORY SHED			FURNITURE & FIXTURE		-
DEPRECIATION FUND ON VEHICLE			TEMPRORY SHED		
DEPRECIATION FUND ON COMPUTER & EQUIPMENT			STORE MATARIALS		
BORROWING		-	COMPUTER & EQUIPMENT		
BANK OVERDRAFT	-		**INVESTMENT**		
PROVISIONS		-	GOVT. SECURITIES		-
SHORTAGE / MISAPPR			FDR S		
OTHER UNFO PAYABLE			TRADE & OTHER SECURITY		
TELEPHONE & ELECTRICITY			**ADVANCES**		
DUTIES & TAXES		-	DEPOSIT FOR COURT CASE LITICATION	-	-
TDS PAYABLE			FEDERATION STAFF		
ENTRY TAX PAYABLE			ADVANCE TO DIRECTORS		
INCOME TAX & PROF. TAX PAYABLE			ADVANCE TO INDIVIDUALS		
PSS WHEAT PURCHASE TAX PAYABLE			ADVANCE TO CO-OP'S / CCB		
VAT / SALES TAX PAYABLE			TRADE ADVANCES		
SERVICE TAX PAYABLE			PREPAID INSURANCE	-	
CST PAYABLE			**BILLS & OTHER RECEIVABLES**		
DEPOSITS			BILLS RECEIVABLE GENERAL		-
TRADE DEPOSITS		-	BILLS RECEIVABLE FERTILIZERS		-
EMD & SECURITY DEPOSITS			BILLS RECEIVABLE PEST./SEEDS		
TRADE CREDITORS			BILLS RECEIVABLE AGRI. MACH.		
SUSPANSE DEPOSITS			BILLS RECEIVABLE STORAGE		
JOINT VENTURE ADVANCE A/C			BILLS RECEIVABLE MARKETING		
ADVANCE RECEIVED		-	BAD & DOUBT DEBTS		
ADVANCE FROM DDA	-	-	MIS APPR RECOV.		
FORMER CONTRIBUTION	-		SALES PROC SEED / PEST - CCB		
DY. DIRECTOR VETONERY / HARTICULTURE	-	-	SALES PROC SEED / PESTI. - APEX		
CO-OP. SOCITIES / FOOD DEPT / OTHER	-		SALES PROC FERT -CCB		
BILLS & OTHER PAYABLES		-	SALES PROC FERT. -APEX		
BILLS PAYABLE GENERAL			BILLS RECEIVABLE PETROL PUMP		
BILLS PAYABLE FERTILIZERS			SUNDRY DEBTORS		
BILLS PAYABLE PESTICIDES			**CLOSING STOCK IN TRADE**		
BILLS PAYABLE AGRI. MACH			**JOINT VENTURE WITH NAFED**		-
BILLS PAYABLE STORAGE			**STOCK OTHER THEN TRADE**		-
BILLS PAYABLE MARKETING			STOCK IN TRANSIT		-
BILLS PAYABLE UNPAID SALARY / BONUS			GUNNY BAGS		
BILLS PAYABLE GPF. / FPF./SBF./ ESI.			HDPE BAGS		
BILLS PAYABLE INSURANCE PREMIUM					
BILLS PAYABLE T A BILLS			CASH & BANK BALANCE		
CONSIGNMENT PAYABLE		-	CASH IN HAND		-
M.P.AGRO.BALAGHAT [CON.PAY.]			CASH IN BANK DEPOSITS		
CONSIGMENT PAYABLE J.N.K.V. JABALPUR			CASH IN TRANSIT		
CONSAIGMENT PAYABLE OIL FED					
Nafed Indore					
H.O. LOAN [G]					
H.O. LOAN					
NET PROFIT [+] / LOSS [-]					
TOTAL		-	TOTAL		-

AO/AAO DMO AUDITOR